न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 59/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00389

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी:–

राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण

नैना पुत्र बींजा दरोगा के का.मु. :–

1. नारायणी पुत्री नैना दरोगा ग्राम निम्बोल (जैतारण) के का.मु. :–
   1/1. ओगड़सिंह पुत्र नैनसिंह रावणा राजपूत निवासी निम्बोल
   1/2. पानी कंवर पुत्री नैनसिंह पत्नी शंकर सिंह रावणा राजपूत हाल निवास निम्बोल
   1/3. बेबी कंवर पुत्री नैनसिंह पत्नी ओमसिंह रावणा राजपूत हाल निवासी घोड़ावड़ रोड़ बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली
2. रूपाराम पुत्र नारायण माली ग्राम निम्बोल
3. लिछमण पुत्र नारायण माली ग्राम निम्बोल
4. हुकमाराम पुत्र नारायण माली ग्राम निम्बोल
5. दुर्गाराम पुत्र नारायण माली ग्राम निम्बोल
6. रूघाराम पुत्र मंगलाराम जाट ग्राम निम्बोल

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 28/7/21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि उपजिलाधीश जैतारण के द्वारा दिनांक 22.4.1976 को ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसीलदार जैतारण ने स्व. नैना पुत्र बींजा दरोगा को खसरा नंबर 861 में 7 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन वाला की भूमी का आवंटन किया गया उक्त भूमी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से उक्त भूमी का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नही किया जा सकता है पटवार हल्का की भौका फर्द अनुसार उक्त भूमी सेटलमेंट गै.मु. बाला जो वर्तमान में भी पानी के बहाव क्षेत्र में आती है। अप्रार्थी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान ने उक्त पक्षकार 2,3 व 4 को खसरा नंबर 861/2 रकबा 4 बीघा अप्रार्थी संख्या 5 को खसरा नंबर 861/1 रकबा 2 बीघा एवं पक्षकार संख्या 6 को खसरा नंबर 861 रकबा 1.05 बीघा का बेचाण कर दिया। अप्रार्थी स्व. नैना को आवंटन पश्चात नामांतरकरण संख्या 535 दिनांक 18.7.76 के उसके नाम दर्ज हुई। नैना फौत [illegible] पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 24.01.1992 के [illegible] के नाम दर्ज हुई तथा जरिये नामांतरकरण संख्या [illegible] 1745 दिनांक 24.5.99, 1967 दिनांक 05.02.2004 के अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम[illegible] करने से दर्ज की गई अप्रार्थी संख्या 1 स्व. नैना के हक में धा[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी का आवंटन कर दिया

क्रमश 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:16 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

गया था जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है इसलिए उपरोक्त आवंटन व उससे सम्बन्धित नामान्तरकरण एवं उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री खूमाराम परिहार आज वक्त बहस अनुपस्थित रहे अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी स्व. नैना पुत्र बीजा के हक में 22.04.1976 में खसरा नंबर 861 रकबा 7.15 बीघा किस्म गै.मु. बाला की भूमी आवंटन की गई थी। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 18.7.76 के आवंटी नैना के नाम दर्ज हुई उक्त भूमी की किस्म गै.मु. बाला की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से इसका आवंटन नहीं किया जा सकता है फिर भी उक्त भूमी का उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/कैम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 के आवंटन कर दिया गया। तथा नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 18.7.76 एवं उसके पश्चातवृती आवंटी की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान के नाम उक्त भूमी दर्ज की तथा बाद में आवंटी के वारिसान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के हक में बेचाण कर दिया उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.4.1976 एवं उससे सम्बन्धित पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 16.7.66, 1620 दिनांक 24.2.98, 1745 दिनांक 24.5.99 एवं 1967 दिनांक 5.02.2004 भी निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कराकर भूमी पुनः गैर मुमकिन बाला दर्ज किए जाने के आदेशार्थ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सादर प्रेषित है।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:16 IST
Reason: SelfAttested